

बिहार सरकार
पंचायती राज विभाग

संकल्प

संख्या-2प/वि०मं०-31-01/2025/8103/प०रा० पटना, दिनांक 27/6/25

विषय: "मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना" के अंतर्गत कुल ₹40,26,50,00,000.00 (चालीस अरब छब्बीस करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र की लागत से राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में।

73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के माध्यम से पंचायतों को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई है। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में 29 विषयों को सूचीबद्ध करते हुए गाँवों के आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाओं के क्रियान्वयन की जिम्मेवारी पंचायतों को सौंपी गई है। संवैधानिक प्रावधानों के अधीन राज्य सरकार द्वारा बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 को अधिनियमित किया गया है। इसमें स्थानीय स्व-शासन को सुदृढ़ करने तथा ग्राम-स्तर पर जिम्मेदार और संवेदनशील नेतृत्व विकसित किये जाने की दिशा में प्रयास किये गये हैं। राज्य के त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को सशक्त, समावेशी, पारदर्शी एवं स्वावलम्बी बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने समुचित निधि, दायित्व एवं मानव बल का प्रतिनिधायन सुनिश्चित किया है। राज्य सरकार द्वारा अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत शक्तियों का विकेन्द्रीकरण करते हुए त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं को प्रभावी तरीके से अपने दायित्वों का निर्वहन करने हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से अनुकूल प्रशासनिक व्यवस्था की गई है।

2. बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा-22 में ग्राम पंचायतों के कार्यों का प्रावधान किया गया है। उक्त धारा की कंडिका-22(XVI) में ग्राम पंचायतें सामाजिक, सांस्कृतिक एवं खेल-कूद कार्यकलापों को बढ़ावा देने तथा धारा-22(XXV) में धर्मशाला, छात्रावासों एवं सदृश संस्थानों का निर्माण एवं



अनुरक्षण संबंधित कार्य प्रावधानित किये गये हैं। उपर्युक्त प्रावधानों के अंतर्गत राज्य के सभी ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के अंतर्गत चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप का निर्माण कराया जाना है। यह निर्माण वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक पाँच वित्तीय वर्षों में चरणबद्ध तरीके से पूर्ण किया जायेगा। ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप के निर्माण से ग्रामीण क्षेत्रों के आमजनों की सामाजिक, सांस्कृतिक उद्देश्यों को पूर्ति हो सकेगी एवं उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग प्राप्त होगा। ग्रामीण क्षेत्र में विवाह मंडप के निर्माण से न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति होगी बल्कि ग्राम पंचायत के आर्थिक विकास, सामुदायिक एकता और पर्यावरण संरक्षण में भी बढ़ावा मिलेगा।

3. विवाह मंडप के निर्माण हेतु स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन (LAEO), योजना एवं विकास विभाग द्वारा तकनीकी अनुमोदित मानक प्राक्कलित राशि प्रति विवाह मंडप ₹50,00,000.00 (पचास लाख रुपये) है। इस प्रकार निर्माण पर कुल $8053 \times 50,00,000 = ₹40,26,50,00,000.00$ (चालीस अरब छब्बीस करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र की राशि का व्यय अनुमानित है।

4. **भूमि का चयन:**— मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना अंतर्गत विवाह मंडप निर्माण के लिए भूमि चयन हेतु सक्षम प्राधिकार संबंधित ग्राम पंचायत की अनुशंसा पर जिलों के जिला पदाधिकारी होंगे। ग्राम पंचायत के जिस राजस्व ग्राम में पंचायत सरकार भवन का निर्माण हो गया है या निर्माणाधीन है, यथासंभव पंचायत सरकार भवन के निकट उसी राजस्व ग्राम में सरकारी/सार्वजनिक या दान स्वरूप प्राप्त भूमि पर विवाह मंडप का निर्माण किया जायेगा। पंचायत सरकार भवन के निकट भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में भूमि चयन के क्रम में अधिक जनसंख्या (जनगणना 2011 के आधार पर) वाले राजस्व ग्राम को प्राथमिकता दिया जायेगा। उक्त राजस्व ग्राम में सरकारी/सार्वजनिक भूमि उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में दान स्वरूप भूमि ली जा सकती है, जो बिहार राज्यपाल के नाम से निबंधित हो। यदि अधिक जनसंख्या वाले राजस्व ग्राम में आवश्यकतानुसार सरकारी/सार्वजनिक या दान स्वरूप भूमि उपलब्ध न हो तो क्रमशः कम जनसंख्या वाले राजस्व ग्राम में



सरकारी/सार्वजनिक या दान स्वरूप भूमि का चयन किया जायेगा। चयनित भूमि विवादग्रस्त नहीं हो, जल जमाव से मुक्त हो तथा ऐसी जगह पर हो जहाँ गाँव के सभी वर्ग के लोग निर्भय होकर आ-जा सकें।

5. विवाह मंडप का निर्माण ग्राम पंचायत के माध्यम से कनीय अभियंताओं/तकनीकी सहायकों के तकनीकी पर्यवेक्षण में कराया जायेगा। निर्माण का तकनीकी अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता द्वारा किया जायेगा। विभाग द्वारा जिला पंचायत राज पदाधिकारियों को आवश्यक आवंटन प्रत्येक वर्ष उपलब्ध कराया जायेगा। जिला पदाधिकारी से योजना के चयन सूची प्राप्त होने के उपरान्त जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा चयन सूची के आधार पर संबंधित ग्राम पंचायत को राशि आवंटित की जायेगी।

6. प्राक्कलन की विभिन्न चरणवार भौतिक प्रगति होने पर मापी की जायेगी। मापी का चरण निम्नवत् होगा:-

- (a) मंडप के प्लिंथ लेवल तक कार्य पूर्ण होने के उपरान्त।
- (b) मंडप के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त।
- (c) मंडप के फिनिशिंग कार्य (विद्युतीकरण सहित) पूर्ण होने के उपरान्त।

7. ग्राम पंचायतों द्वारा विवाह मंडपों के निर्माण में निम्नवत् प्रक्रिया अपनायी जायेगी :-

- (i) प्राक्कलन का गठन एवं तकनीकी स्वीकृति : विवाह मंडपों के प्राक्कलन पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त की जाएगी। तैयार किए गए मानक प्राक्कलन के आधार पर site specific estimate तकनीकी सहायक/कनीय अभियंता द्वारा बनाया जाएगा, जिस पर स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के सहायक अभियंता/कार्यपालक अभियंता के माध्यम से अधीक्षण अभियंता द्वारा तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जाएगी।

Sam.

(ii) निर्माण कार्य ग्राम पंचायतों द्वारा विभागीय तौर पर कराया जाएगा। तदनुसार संवेदक लाभ देय नहीं होगा।

(iii) व्यय की व्यवस्था : संबंधित ग्राम पंचायत को विवाह मंडप निर्माण हेतु चयनित स्थल पर Layout किये जाने के उपरान्त तकनीकी स्वीकृति प्रदत्त प्राक्कलित राशि पर 5 प्रतिशत राशि Mobilization Advance के रूप में देय होगी। विवाह मंडप निर्माण हेतु राशि की निकासी संबंधित जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा कोषागार से की जायेगी एवं ग्राम पंचायत से नियमानुसार प्राप्त अधियाचना के आलोक में निश्चय सॉफ्ट पोर्टल पर की गयी प्रविष्टि के आधार पर दो कार्य दिवस के अन्दर अधियाचित राशि ग्राम पंचायत के खाते में सी०एफ०एम०एस० (CFMS) के माध्यम से हस्तांतरित की जायेगी। ग्राम पंचायत, विवाह मंडप के निधि के प्रबंधन हेतु अलग खाता रखेगी। Mobilization Advance के रूप में प्राप्त राशि का उपयोग करते हुए ग्राम पंचायतों द्वारा कार्य कराया जाएगा, जिसका समायोजन अगले तीन running विपत्रों से समान किस्तों में किया जायेगा।

(iv) समयबद्ध कार्यान्वयन : ग्राम पंचायतों द्वारा विवाह मंडप का कार्य आरंभ की तिथि से नौ महीने के अन्दर कार्य पूर्ण करना आवश्यक होगा।

8. मापी का सत्यापन स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन के सहायक अभियंता एवं कार्यपालक अभियंता द्वारा किया जाएगा। इसके आधार पर मापी पुस्त में अंकित चरणवार किये गये कार्य एवं अद्यतन भौतिक स्थिति की जियो टैग फोटोग्राफ ई-पंचायत पोर्टल पर अपलोड किये जाने के आधार पर ही अग्रेतर भुगतान होगा।

9. विवाह मंडप भवन के निर्माण हेतु उपलब्ध कराई गयी राशि का मासिक वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र जिला पंचायत राज पदाधिकारी द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया जायेगा।



10. विवाह मंडप भवन का रख-रखाव, संचालन एवं प्रबंधन जीविका ग्राम संगठनों द्वारा किया जायेगा। इस संबंध में ग्रामीण विकास विभाग मार्गदर्शन जारी करेगा।

11. निधि की व्यवस्था :- विवाह मंडप के निर्माण हेतु निधि की व्यवस्था राज्य योजना मद से की जायेगी।

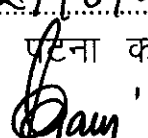
12. योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर अग्रतर दिशा-निर्देश पंचायती राज विभाग द्वारा निर्गत किया जा सकेगा।

13. उक्त के आलोक में "मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना" के अंतर्गत कुल ₹40,26,50,00,000.00 (चालीस अरब छब्बीस करोड़ पचास लाख रुपये) मात्र की लागत से राज्य के सभी 8053 ग्राम पंचायतों में चरणबद्ध तरीके से विवाह मंडप निर्माण की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर दिनांक 24.06.2025 को मंत्रिपरिषद् की बैठक के मद संख्या-30 में स्वीकृति प्रदान की गयी है।

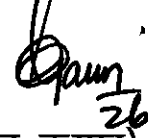
आदेश: आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु प्रकाशित किया जाए।


(मनोज कुमार)
सचिव

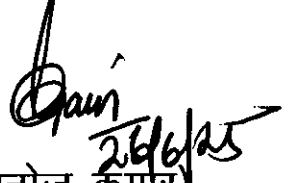
ज्ञापांक:2प/वि०मं०-31-01/2025/8103/पं०रा० पटना, दिनांक 27/6/2025
प्रतिलिपि:-महालेखाकार (ह० एवं ले०), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार)
सचिव

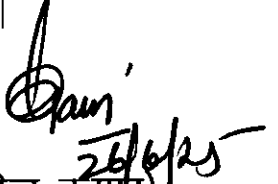
ज्ञापांक:2प/वि०मं०-31-01/2025/8103/पं०रा० पटना, दिनांक 27/6/2025
प्रतिलिपि:-प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को बिहार राज्य पत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ अग्रसारित।


(मनोज कुमार)
सचिव

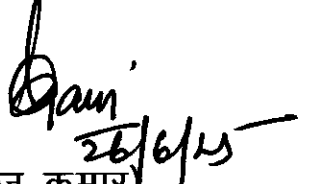
ज्ञापांक: 2प/वि०मं०-31-01/2025/8103/पं०रा० पटना, दिनांक 27/6/2025
प्रतिलिपि-मुख्य सचिव, बिहार/माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को
सूचनार्थ प्रेषित।


(मनोज कुमार)
सचिव

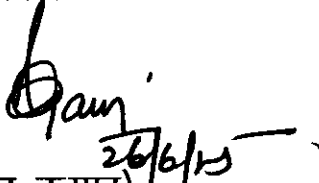
ज्ञापांक: 2प/वि०मं०-31-01/2025/8103/पं०रा० पटना, दिनांक 27/6/2025
प्रतिलिपि:-सभी अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय
आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य
कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद्/सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार,
पटना/सभी प्रमंडलीय उप निदेशक, पंचायती राज/सभी जिला पंचायत राज
पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक: 2प/वि०मं०-31-01/2025/8103/पं०रा० पटना, दिनांक 27/6/2025
प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, वित्त विभाग/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास
विभाग/सचिव, ग्रामीण विकास विभाग/मुख्य अभियंता, स्थानीय क्षेत्र
अभियंत्रण संगठन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार)
सचिव

ज्ञापांक: 2प/वि०मं०-31-01/2025/8103/पं०रा० पटना, दिनांक 27/6/2025
प्रतिलिपि-आई०टी० मैनेजर, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को विभागीय
वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


(मनोज कुमार)
सचिव